

17
पत्रावली पेश हुई। वही अधिवक्ता अंशुपाल सिंह ।
पत्रावली में वही अधिवक्ता को उपस्थित
है। आयालय समय में रुक रुक कर
आवाजें कराई गईं लेकिन कोई उपस्थित नहीं
था। पत्रावली अदम पेश की अदम हाजरी में
स्वीकृत की जाती है। पत्रावली फौजदारी शुमार
होकर हाजिल दफ्तर हो गई।